

1372  
16/11/2020

रिपोर्ट पटवारी संख्या / अ. 30 एल 03 आर 0  
 2015-18 के खाता नंबर  
 349 के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नालिखित रूप में शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व  
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेकानंद प्रभु के आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आतंकक  
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त करने के लिए अगिराषा की जाती है / नहीं  
 की जाती है।

उत्तर प्रमाण जाग इचित है

16/11/2020  
 तहसीलदार (भू0अ0) गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :- 16/11/20

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार (भू0अ0)  
 उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में  
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नालिखित रूप में शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व  
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स	ग्राम	जमाबन्दी संख्या	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	कुठराना	2015-18	349	रखवी सिंह पु राम कुमार शान्ति देवी	रखवी सिंह पु राम कुमार
			351	पत्नी राम कुमार	शान्ति देवी पत्नी राम कुमार

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की  
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 12/11/20

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1120-2

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वारते पालनार्थ।
  2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

